न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0 अधि0), कोर्ट सं02, लखनऊ।

सत्र परीक्षण संख्या – 328/2018

सरकार बनाम वकार अली उर्फ सोनू

अपराध संख्याः 1265/2017
धाराः 302 भा0दं0सं0,
थानाः ठाकुरगंज, लखनऊ

आरोप

मैं, विनय कुमार सिंह–।।।, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (भ्र0नि0 अधि0), कोर्ट सं02, लखनऊ, आप अभियुक्त **वकार अली उर्फ सोनू** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँः–

यह कि दिनांक 03.12.2017 को समय लगभग रात्रि 08.00 बजे के बाद, स्थान सोना भट्ठा बरौरा के पास, अंतर्गत थाना ठाकुरगंज, लखनऊ में आपके द्वारा वादी मुकदमा शाहिद रजा के पुत्र दानिश की गला दबाकर हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आपका यह कृत्य **धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप को निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

(विनय कुमार सिंह–।।।)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(भ्र0नि0 अधि0), कोर्ट सं02, लखनऊ।

दिनांकः 15–10–2018

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोप से इनंकार किया तथा विचारण की याचना की।

(विनय कुमार सिंह–।।।)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(भ्र0नि0 अधि0), कोर्ट सं02, लखनऊ

दिनांकः 15–10–2018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0 अधि0), कोर्ट सं02, लखनऊ।

सत्र परीक्षण संख्या – 328/2018

सरकार बनाम वकार अली उर्फ सोनू

अपराध संख्याः 1265/2017
धाराः 302 भा0दं0सं0,
थानाः ठाकुरगंज, लखनऊ

15–10–2018

पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त वकार अली उर्फ सोनू जेरे हिरासत मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त वकार अली उर्फ सोनू के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया कि अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप नही बनता है, जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा आपत्ति की गयी और यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप प्रथम दृष्टया बनता है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को में बल प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त वकार अली उर्फ सोनू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया जाए।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिए सम्मन तलब हों। अभियुक्त जेल से तलब हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(भ्र0नि0 अधि0), कोर्ट सं02, लखनऊ।